

# पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं.-0755-2552899 ई-मेल [dirpanchayat@mp.gov.in](mailto:dirpanchayat@mp.gov.in)

क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2021-22/1586  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07/02/2022

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत-समस्त,  
मध्यप्रदेश।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2021-22 में चतुर्थ त्रैमास के लिए जिला पंचायतों को योजना क्रमांक-8209(196) में जिला पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय हेतु बजट आबंटन जारी करने बाबत।

- 00 -

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के क्रमांक 350/आर 22/2021/ब-1/चार, दिनांक 31.03.2021 से पंचायत राज संचालनालय के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये आबंटन प्राप्त हैं। प्राप्त आबंटन के आधार पर पंचायतराज संचालनालय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मांग संख्या-62 के योजना क्रमांक-8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं मद अंतर्गत लघुशीर्ष-196 में जिला पंचायत के आहरण संवितरण अधिकारियों को चतुर्थ त्रैमास हेतु संलग्न परिशिष्ट के कॉलम-9 अनुसार प्रधान/अध्यक्ष हेतु राशि 16.65 लाख, कॉलम-10 अनुसार उपाध्यक्ष (सदस्य) हेतु राशि 06.75 लाख, एवं कॉलम-11 अनुसार सदस्य हेतु राशि 48.867 लाख इस प्रकार कॉलम-12 अनुसार कुल राशि 72.267 लाख (राशि रुपये-बहत्तर लाख छब्बीस हजार सात सौ मात्र) का आबंटन आपके अधिकार क्षेत्र में सौंपा जाता है।

उक्त व्यय मांग संख्या-62-पंचायत-शीर्ष-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-{196-जिला पंचायतों को सहायता}-8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं-9999-#42-सहायक अनुदान-009-पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वय हेतु अनुदान मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।


टीप:- बकाया कार्यकाल के पदाधिकारियों के मानदेय का भुगतान म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि.विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-1-13/22/पं-1, दिनांक 18.04.2013 में उल्लेखित दर तथा बढ़े हुए कार्यकाल के पदाधिकारियों के मानदेय का भुगतान म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि.विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-2-1-13/22/पं-1, दिनांक 25.01.2021 में उल्लेखित दर से किया जाना सुनिश्चित करे।(छायांप्रति संलग्न)

निरंतर...

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा सौंपे गए आबंटन एवं तदसंबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किया जावे :-

- (1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आबंटन से अधिक न किया जावे।
- (2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।
- (3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारूप में अनिवार्यतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।
- (4) संचालनालय द्वारा आपको सहायक अनुदान के अन्तर्गत जारी की गयी राशि के समस्त योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः भेजा जाना सुनिश्चित करें।
- (5) संचालनालय द्वारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक व्यय का अनुमान का आकलन कर शेष राशि संचालनालय के बी0सी0ओ0कोड़-2203 में समर्पित कर समर्पण आई0डी0 एवं पूर्ण विवरण सहित संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आवंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आवंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


**संलग्न :-**परिशिष्ट  
(संचालक द्वारा अनुमोदित)

  
संयुक्त संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2021-22/1587  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 07/02/2022

1. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
2. उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय), मध्यप्रदेश, ग्वालियर को सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
6. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, कलेक्टर, जिला, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. निज सहायक संचालक, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल।  
की ओर सूचनार्थ।

  
संयुक्त संचालक(वित्त)  
पंचायत राज संचालनालय  
मध्यप्रदेश

पंचायत राज संचालनालय म0प्र0भोपाल

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिला पंचायत पदाधिकारियों (प्रधान, सदस्य) के मानदेय चतुर्थ त्रैमास हेतु योजना क्रमांक 8209-196 एवं कम पड रही राशि की प्रतिपूर्ति हेतु योजना क्रमांक-6299(0103) से जारी राशि का विवरण

(राशि रुपये में)

क्रमांक	जिले का नाम	डी.डी.ओ. कोड	जिला पंचायत पदाधिकारियों की संख्या					8209(196) से जारी राशि				6299(0103) से जारी राशि		
			प्रधान (अध्यक्ष) जिला पंचायत	उपाध्यक्ष, जिला पंचायत	सदस्य की कुल संख्या	सदस्य की कुल संख्या	कुल प्रधान, सदस्य	प्रधान /अध्यक्ष, जिला पंचायत 11100/-	सदस्य /उपाध्यक्ष, जिला पंचायत 9500/-	सदस्य जिला पंचायत 4500/- 01 माह हेतु	कुल जारी राशि 8209(196)	सदस्य जिला पंचायत 4500/- 6299(0103)	6299(0103) से कुल जारी राशि	कुल जारी राशि 12+14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	बालाघाट	0105802002	1	1	25	26	27	33300	13500	100000	146800	237500	237500	384300
2	बड़वानी	0205802001	1	1	12	13	14	33300	13500	61000	107800	101000	101000	208800
3	बैतूल	0305802031	1	1	20	21	22	33300	13500	100000	146800	170000	170000	316800
4	भिण्ड	0405802019	1	1	19	20	21	33300	13500	100000	146800	156500	156500	303300
5	भोपाल	0505802003	1	1	8	9	10	33300	13500	75000	121800	33000	33000	154800
6	छतरपुर	0605802014	1	1	20	21	22	33300	13500	100000	146800	170000	170000	316800
7	छिन्दवाड़ा	0705802015	1	1	24	25	26	33300	13500	100000	146800	224000	224000	370800
8	दमोह	0805802001	1	1	13	14	15	33300	13500	100000	146800	75500	75500	222300
9	दतिया	0905802004	1	1	8	9	10	33300	13500	75000	121800	33000	33000	154800
10	देवास	1005802012	1	1	16	17	18	33300	13500	100000	146800	116000	116000	262800
11	घार	1105802008	1	1	25	26	27	33300	13500	100000	146800	237500	237500	384300
12	डिंडोरी	1205802010	1	1	8	9	10	33300	13500	75000	121800	33000	33000	154800
13	गुना	1305802015	1	1	12	13	14	33300	13500	100000	146800	62000	62000	208800
14	ग्वालियर	1405802010	1	1	11	12	13	33300	13500	100000	146800	48500	48500	195300
15	हरदा	1505802005	1	1	8	9	10	33300	13500	100000	146800	8000	8000	154800
16	होशंगाबाद	1605802023	1	1	13	14	15	33300	13500	100000	146800	75500	75500	222300
17	इंदौर	1705802003	1	1	15	16	17	33300	13500	100000	146800	102500	102500	249300
18	जबलपुर	1805802019	1	1	15	16	17	33300	13500	100000	146800	102500	102500	249300
19	झाबुआ	1905802002	1	1	12	13	14	33300	13500	100000	146800	62000	62000	208800
20	कटनी	2005802010	1	1	12	13	14	33300	13500	100000	146800	62000	62000	208800

म/र 7/2/22

(राशि रुपये में)


क्रमांक	जिले का नाम	डी.डी.ओ. कोड	जिला पंचायत पदाधिकारियों की संख्या					8209(196) से जारी राशि				6299(0103) से जारी राशि		
			प्रधान (अध्यक्ष) जिला पंचायत	उपाध्यक्ष, जिला पंचायत	सदस्य की कुल संख्या	सदस्य की कुल संख्या	कुल प्रधान, सदस्य	प्रधान /अध्यक्ष, जिला पंचायत 11100/-	सदस्य /उपाध्यक्ष, जिला पंचायत 9500/-	सदस्य जिला पंचायत 4500/- 01 माह हेतु	कुल जारी राशि 8209(196)	सदस्य जिला पंचायत 4500/- 6299(0103)	6299(0103) से कुल जारी राशि	कुल जारी राशि 12+14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	खण्डवा	2105802023	1	1	14	15	16	33300	13500	100000	146800	89000	89000	235800
22	खरगोन	2205802122	1	1	24	25	26	33300	13500	100000	146800	224000	224000	370800
23	मंडला	2305802004	1	1	14	15	16	33300	13500	100000	146800	89000	89000	235800
24	मंदसौर	2405802012	1	1	15	16	17	33300	13500	100000	146800	102500	102500	249300
25	मुरेना	2505802004	1	1	18	19	20	33300	13500	100000	146800	143000	143000	289800
26	नरसिंहपुर	2605802006	1	1	13	14	15	33300	13500	100000	146800	75500	75500	222300
27	नीमच	2705802002	1	1	8	9	10	33300	13500	100000	146800	8000	8000	154800
28	पन्ना	2805802010	1	1	12	13	14	33300	13500	100000	146800	62000	62000	208800
29	रायसेन	2905802002	1	1	15	16	17	33300	13500	100000	146800	102500	102500	249300
30	राजगढ़	3005802010	1	1	16	17	18	33300	13500	100000	146800	116000	116000	262800
31	रतलाम	3105802015	1	1	14	15	16	33300	13500	100000	146800	89000	89000	235800
32	रीवा	3205802019	1	1	30	31	32	33300	13500	100000	146800	305000	305000	451800
33	सागर	3305802018	1	1	25	26	27	33300	13500	100000	146800	237500	237500	384300
34	सतना	3405802014	1	1	24	25	26	33300	13500	100000	146800	224000	224000	370800
35	सीहोर	3505802006	1	1	15	16	17	33300	13500	100000	146800	102500	102500	249300
36	सिवनी	3605802021	1	1	17	18	19	33300	13500	100000	146800	129500	129500	276300
37	शहडोल	3705802004	1	1	13	14	15	33300	13500	100000	146800	75500	75500	222300
38	शाजापुर	3805802016	1	1	9	10	11	33300	13500	100000	146800	21500	21500	168300
39	शिवपुरी	3905802005	1	1	21	22	23	33300	13500	100000	146800	183500	183500	330300
40	श्योपुर	4005802003	1	1	8	9	10	33300	13500	100000	146800	8000	8000	154800
41	सीधी	4105802004	1	1	13	14	15	33300	13500	100000	146800	75500	75500	222300
42	टीकमगढ़	4205802015	1	1	16	17	18	33300	13500	100000	146800	116000	116000	262800
43	उज्जैन	4305802010	1	1	19	20	21	33300	13500	100000	146800	156500	156500	303300
44	उमरिया	4405802006	1	1	8	9	10	33300	13500	100000	146800	8000	8000	154800
45	विदिशा	4505802012	1	1	17	18	19	33300	13500	100000	146800	129500	129500	276300

7/2/22

(राशि रुपये में)

क्रमांक	जिले का नाम	डी.डी.ओ. कोड	जिला पंचायत पदाधिकारियों की संख्या					8209(196) से जारी राशि				6299(0103) से जारी राशि		
			प्रधान (अध्यक्ष) जिला पंचायत	उपाध्यक्ष, जिला पंचायत	सदस्य की कुल संख्या	सदस्य की कुल संख्या	कुल प्रधान, सदस्य	प्रधान /अध्यक्ष, जिला पंचायत 11100/-	सदस्य /उपाध्यक्ष, जिला पंचायत 9600/-	सदस्य जिला पंचायत 4500/-	कुल जारी राशि 8209(196)	सदस्य जिला पंचायत 4500/- 6299(0103)	6299(0103) से कुल जारी राशि	कुल जारी राशि 12+14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	अनूपपुर	4605802004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	अशोकनगर	4705802004	1	1	9	10	11	33300	13500	100000	146800	21500	21500	168300
48	बुरहानपुर	4805802003	1	1	8	9	10	33300	13500	100000	146800	8000	8000	154800
49	अलीराजपुर	4905802002	1	1	10	11	12	33300	13500	100000	146800	35000	35000	181800
50	सिंगरौली	5005802001	1	1	12	13	14	33300	13500	100000	146800	62000	62000	208800
51	आगर-मालवा	5105802003	1	1	8	9	10	33300	13500	100700	147500	7300	7300	154800
महायोग			50	50	741	791	841	1665000	675000	4886700	7226700	5116800	5116800	12343500

(राशि रुपये-एक करोड़ तेईस लाख तिरतालीस हजार पांच सौ मात्र)

  
 संयुक्त संचालक(वित्त)  
 पंचायत राज संचालनालय  
 म.प्र.भोपाल